# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 63/2023

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| रामेश्वरलाल पुत्र मोतीलाल जाति खाती निवासी वार्ड नम्बर 04 डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर (राजस्थान) | | 1 सुरेन्द्र ढाका पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी गोरेडी चांचा हाल वार्ड नम्बर 04 डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर।<br>2 तत्कालीन ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर वर्तमान में नगरपालिका मण्डल डेगाना जरिए सरपंच/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल डेगाना जिला नागौर। |

उपस्थिति–

1 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2 श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3 श्री सुनील त्रिवेदी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994**

**निर्णय**

दिनांक 09.12.2024

1–प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.07.2010, पट्टा संख्या 29 मिसल संख्या 29/2010–11 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.09.2023 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 15.09.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री सुनील त्रिवेदी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा पटटा सं. 29 की प्रमाणित फोटोप्रति, बेचाननामा की फोटोप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 18.01.11 की फोटोप्रति, नगरपालिका डेगाना के कार्यालय टिप्पणी की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डेगाना के निर्णय दिनांक 01.06.24 की फोटोप्रति, न्यायालय सीजे एण्ड एसीजेएम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, इकरारनामा की फोटोप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 11.02.11 की फोटोप्रतिख नगरपालिका मण्डल डेगाना के पट्टा संख्या 50 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड उपलब्ध होना नहीं बताया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– प्रार्थी ने उक्त निगरानी ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा के पटटा नम्बर 29 मिसल नम्बर 29/2010–11 व प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 05.07.2010 के विरूद्व पेश की है।

2(2)– प्रार्थी कस्बा डेगाना का वार्ड संख्या 4 का निवासी है। जहां पर प्रार्थी के स्वामित्व व अधिभोग का एक नोहरा व मकान स्थित है। जिसके चिपते ही पूवी तरफ प्रार्थी के स्वामित्व का प्लॉट स्थित है। प्रार्थी के नोहरा व मकान के उतर में 14 फिट गुणा 90 फिट की आम सार्वजनिक गली स्थित है जो पीछे के भूखण्डों में आवागमन हेतु स्थित रही है। प्रार्थी ने अपना मकान मय नोहरा की जगह दिनांक 21.03.02 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख की खरीद की जिसके उतर में उक्त गली स्थित रही है तथा प्रार्थी के मकान व नोहरे की जगह का एक निकाल उतरी तरफ स्थित आमरास्ते की और स्थित रहा है। उक्त रास्ते के पूर्व में स्थित भूखण्ड प्रार्थी ने सन 2006 में खरीद किया, जिसमें भी आवागमन का उक्त रास्ता स्थित रहा है तथा पडौस के मकान जो कि उक्त विवादित रास्ते से उतर की तरफ स्थित रहे है। उनके स्वामित्व के दस्तावेजों में भी उक्त भूमि को 14 फीट का रास्ता होना अंकित किया है, जो रास्ता 14 फीट की चौडाई में स्थित रहा है जिस पर अतिक्रमण कर अप्रार्थी संख्या 1 सुरेन्द्र ने रास्ते की सार्वजनिक गली की भूमि पर दो छोटे शैचालयों का निर्माण करवा लिया व प्रार्थी के निकाल के संबंध में ऐतराज करते हुए जुलाई 2022 में एक दीवानी वाद अप्रार्थी सुरेन्द्र ने प्रार्थी के विरूद्व न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डेगाना के समक्ष पेश किया, जिसमें दस्तावेज के साथ स्वयं के नाम के जारी पट्टा होना उल्लेखित करते हुए पटटा पेश किया

09/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

तब पट्टे बाबत् प्रार्थी को जानकारी हुई जिस बाबत् प्रार्थी ने पंचायत समिति डेगाना व नगर पालिका मण्डल डेगाना में नकल हेतु आवेदन पेश किया, परंतु नकले प्राप्त नहीं हुईजिस पर सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पेश करने पर नगर पालिका मण्डल डेगाना द्वारा पटटे की प्रति उपलब्ध करवायी गयी तथा मिसल रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होने बाबत सूचना जारी की, जिस पर पंचायत समिति डेगाना के समक्ष आवेदन पेश किया जहां से भी मिसल प्राप्त नहीं हुई तथा सिविल वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने व अपील होने पर प्रार्थी को अधिवक्ता से पंचायत निगरानी पेश करने की विधिक राय प्राप्त हुई, जिस पर यह पंचायत निगरानी प्रार्थी की ओर से पेश की गयी।

2(3)– नगर पालिका द्वारा जो पटटे की प्रति उपलब्ध करवायी गयी है वह सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करवायी गयी है। कथित दस्तावेज की फोटोप्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति डेगाना द्वारा जारी फोटो प्रति ही नगर पालिका के समक्ष पेश की गयी थी। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत फोटो प्रति की भी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है तथा फोटो प्रति की ही प्रति उपलब्ध करवायी गयी थी। जिसके आधार पर ही उक्त निगरानी पेश की गई, जो किसी प्रकार से असल से प्रमाणित प्रति तैयार नहीं की गयी है। बल्कि फोटो प्रति की प्रति ही उपलब्ध करवायी गयी है। उक्त पत्र में नगरपालिका मण्डल डेगाना द्वारा उल्लेखित किया गया है कि ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा पालिका को मूल पटटा मिसल सुपुर्द नहीं की गई एवं ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा पटटे की छाया प्रति सुपुर्द की गई पत्रावली पालिका रिकोर्ड में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जो प्रति निगरानी के साथ पेश की गई है वह फोटोप्रति की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी की गई हैं जो असल से जारी नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि मूल पटटा मिसल दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है व न ही मिसल संधरित की गई व न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव लिया गया व न ही कोई पटटा जारी किया गया है यदि वास्तव में मिसल संधारित की जाती तो असल अवश्यक उपलब्ध होती, साथ ही मूल पटटा बुक जिसमें पटटे की कार्बन प्रति मौजूद रहती है अवश्य न्यायालय में भिजवायी जाती, साथ ही ग्राम पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर अवश्य पंचायत समिति में अथवा नगर पालिका में जमा होता व प्रस्ताव रजिस्टर भी न्यायालय को प्राप्त होता। इस संबंध में पंचायत समिति डेगाना व नगर पालिका मण्डल डेगाना ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है ऐसा कोई पटटा ग्राम पंचयत गारेडी द्वारा जारी ही नहीं किया गया है।

2(4)–अप्रार्थी संख्या 1 सुरेन्द्र ने तथाकथित पटटे के आधार पर प्रार्थी के मकान के दरवाजे को बंद करने बाबत सिविल वाद पेश किया था तथा तथाकथित पटटे में 14 फिट की गली की भूमि को समिलित किया गया है जिस गली में प्रार्थी के मकान का निकाल है व आगे स्थित प्लॉट का भी निकाल इसी गली में है तथा गली की भूमि पर ही अप्रार्थी सुरेन्द्र ने अतिक्रमण किया है जो पटटे की भूमि बतायी गयी है वह गली की भूमि है जिसमें प्रार्थी का निकाल स्थित है व पटटे वाली जगह में प्रार्थी का निकाल है जिसको बंद करवाने हेतु ही सुरेन्द्र ने सिविल वाद पेश किया था। इसलिए उक्त भूमि के संबंध में जो कि आम गली की भूमि है, में प्रार्थी का हित निहित करता है तथा उक्त गली सार्वजनिक गली है जिसमें प्रार्थी का मकान व नोहरे एवं प्लॉट का निकाल स्थित है तथा गली के दोनों और स्थिति मकानों का निकाल भी उक्त गली में स्थित है इसलिए पटटे व पटटे से दर्शित भूमि से प्रार्थी का हित सिधा प्रभावित होता है तथा प्रार्थी के मकान व नोहरे का निकाल बंद होता है इसलिए प्रार्थी को ऐसी निगरानी पेश करने का पूर्ण अधिकार है।

2(5)– पटटे की जानकारी जुलाई 2022 में सुरेन्द्र द्वारा प्रार्थी के विरूद्व वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डेगाना के समक्ष प्रस्तुत सिविल वाद में प्रार्थी ने सर्वप्रथम विवादित गली की भूमि को अपने पटटासुदा होना बताया तथा पटटा प्रस्तुत किया है जिसकी जानकारी उक्त सिविल वाद में नोटिस प्राप्त होने के पश्चात हुई है तथा पंचायत निगरानी पेश करने के संबंध में मयाद का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है व न ही पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु 90 दिन की मयाद निर्धारित की गई है। बल्कि कोई मयाद निर्धारित नहीं की गई है व विधिनुसार भी ऐसे प्रावधानों के लिए मयाद की अवधि तीन वर्ष होती है जो भी जानकारी से निगरानी है। साथ ही पटटा अवैध तरीके से रास्ते की भूमि का अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर व नियमों के विरूद्व जारी किया गया है जिसको कभी भी निरस्त किया जा सकता है। जिसके संबंध में मयाद के कोई प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए भी इस संबंध में निगरानी बाबत मयाद निर्धारित नहीं है तथा ऐसे पटटे को कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

2(6)–ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा के समक्ष पटटा हेतु कोई आवेदन पेश नही हुआ व न ही आवेदन जमा करने की कोई रसीद जारी की गई व न ही कोई मिसल संधारित की गई व न ही कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 के अन्तर्गत आबादी भूमि के निस्तारण के संबंध में प्रावधित नियम 140 से 168 की कोई पालना नहीं की गई, जबकि आबादी भूमि का निस्तारण उक्त नियमों के तहत ही किया जा सकता है। इसके लिए पटटा हेतु आवेदन पेश करना आवश्यक है तथा नियम 146 के

09/12/24
अपर कलक्टर, नागौर

तहत स्थल निरीक्षण हेतु 3 पंचों की कमेठी का गठन किया जाना व पंचों द्वारा मौके पर निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट व सचिव द्वारा चाहे गये स्थल का नक्शा सहित रिपोर्ट पेश की जाना आवश्यक है जो रिपोर्ट पेश होने पर नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है जो नोटिस पंचायत के सूचना पट व चाहे गये स्थल पर दो स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में चस्पा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदन के साथ नक्शा शुल्क व आवेदन शुल्क जमा किया जाना आवश्यक है तथा आक्षेप आंमत्रण के पश्चात आगामी कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं की गई है व न ही नियमों की कोई पालना की गई है तथा भूमि का बेचान बाजार दर पर बातचीत के जरिये करना बताया गया है जबकि भूमि का विक्रय बाजार दर पर नहीं किया गया है बाजार दर डीएलसी रेट के अनुसार बनती है जो 200 रू से कहीं अधिक होती है। ग्राम पंचायत द्वारा बेचान बातचीत के जरिये बताया गया है जो नियम 156 के तहत ही किया जा सकता है जो नीलामी से उचित राशि प्राप्त नहीं होने पर ही विक्रय किया जा सकता है जो विक्रय उप पंजीयक द्वारा तय की गई डीएलसी रेट गांव की बाजार कीमत से कम पर अंतरित नहीं की जा सकती है। इसलिए भी नियमों व प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई है।

2(7)– पटटा फर्जी तरीके से तैयार किया किया गया है। पटटे मे पटटा बुक का इन्द्राज किया हुआ नहीं है। यदि वास्तव में कोई पटटा जारी किया जाता तो उस पर पटटा बुक अवश्य अंकित होता साथ पटटा बुक में मूल पटटे की कार्बन प्रति अस्तित्व में रहती है तथाकथित पटटे की कोई पटटा बुक उपलब्ध नहीं है व न ही मिसल उपलब्ध है व न ही मिसल संधारित की गई है तथा पटटा में मिसल की दायरा दिनांक 05.01.2009 अंकित है जिसके अनुसार मिसल वर्ष 2009–10 में संधारित होती है न की वर्ष 2010–11 की। जबकि पटटे पर मिसल 2010–11 में दर्ज होना बताया गया है जो गलत रूप से बताया गया है। ऐसा कोई पटटा जारी ही नहीं किया गया व फर्जी तरीके से तैयार किया गया है तथा पटटा नम्बर व मिसल नम्बर दोनों एक ही है, जबकि नियमानुसार दोनों अलग अलग होना आवश्यक है इससे प्रमाणित है कि पटटा फर्जी तरीके से तैयार किया गया है तथा नियमों की कोई पालना नहीं की गई है।

2(8)–विवादित पटटे में अंकित भूमि सार्वजनिक गली की भूमि है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है। जिसके आस पास के भूखण्डों के विक्रय पत्रों में उक्त भूमि को गली की भूमि होना अंकित किया गया है जो दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किये गये है जिसमें उक्त गली 14 फीट चौडी है तथा उक्त भूमि रास्ते की भूमि है जिसकी स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत मात्र ट्रस्टी होती है तथा उक्त गली में दोनों और के स्थित मकानों व भू खण्डों के निकाल स्थित है तथा बक्साराम, तुलछी देवी व अन्य लोगो के निकाल उक्त गली में स्थित है जो गली नगर पालिका मण्डल डेगाना के प्लान व नक्शे में भी गली के रूप में दर्शित है तथा सार्वजनिक रास्ते व आवागमन के रूप में काम में आती है तथा रास्ते की भूमि को विक्रय करने अथवा उसको पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था व न ही उक्त भूमि ग्राम पंचायत में निहित करती थी इसलिए ऐसी भूमि को विक्रय करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था। इसलिए पटटा व प्रस्ताव अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पारित किये गये है जो निरस्त होने योग्य है।

2(9)–उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ता व गली की भूमि है जिसमें दोनों और के मकानों के निवासीगण के सोकपिट बने हुए है तथा दोनों तरफ नगरपालिका द्वारा नाली का निर्माण भी करवाया गया है जो नाली नगरपालिका द्वारा ही स्वीकृत की गई है व निर्माण करवायी गयी है उक्त गली सार्वजनिक उपयोग की है जिसका पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था।

2(10)–अप्रार्थी सुरेन्द्र द्वारा जो दीवानी वाद पेश किया गया है वह वाद भी वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश डेगाना द्वारा दिनांक 01.06.2024 को रास्ते की भूमि मानते हुए व पटटा साबित नहीं होना मानते हुए निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व भी अप्रार्थी ने आगे कोई अपील आदि पेश नहीं की है। विवादित भूमि रास्ते की भूमि है जिसका पटटा जारी करने अथवा विक्रय करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है।

2(11)–विवादित पटटा बाबत कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया गया। यदि कोई प्रस्ताव लिया जाता तो उसका अंकन प्रस्ताव रजिस्टर में अवश्य होता परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव रजिस्टर अस्तित्व में ही नहीं है तथा ऐसा कोई प्रस्ताव लिया ही नहीं गया है। ऐसा रेकार्ड उपलब्ध ही नहीं है व न ही किसी प्रकार की कोई मिसल उपलब्ध है तथा राजस्थान पंचायराज नियम 1996 में दिये गये किसी भी आज्ञापक नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। इसलिए उक्त पटटा नियम विरूद्व व गलत रूप से जारी किया गया होने से पटटा व प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।

09/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

2(12)–विवादित भूमि गली व रास्ते की भूमि होना प्रमाणित है जिसके संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया था। नगर पालिका में अतिक्रमण बाबत शिकायत की गई जिसकी जांच भी कनिष्ठ अभियंता द्वारा की गई जिसमें भी उक्त भूमि को गली की भूमि होना मानकर व अतिक्रमण हेना मानते हुए रिपोर्ट पेश की है। तथाकथित पटटा गली की भूमि का जारी किया गया है जिसके संबंध में आज्ञापक नियमों की कोई पालना नहीं की गई है इसलिए पटटा निरस्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे राज 1995 पेज नम्बर 458, डीएनजे राज 1999 पेज नम्बर 672, डीएनजे राज 2018(1) पेज नम्बर 111, डीएनजे राज 2018(2) पेज नम्बर 497, डीएनजे राज 2022(1) पेज नम्बर 243, डीएनजे राज 2020(1) पेज नम्बर 201, डीएनजे राज 2021(2) पेज नम्बर 498 तथा डीएनजे राज 2016(4) पेज नम्बर 1799 नजीरे पेश की।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 29 संकल्प संख्या 5 को निरस्त करने बाबत उक्त निगरानी पेश की है। उक्त पटटा संख्या 29 में पर्णित भूमि में प्रार्थी का क्या हित है, इस संबंध में सम्पूर्ण निगरानी में प्रार्थी ने किसी प्रकार के कथन नहीं किये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की उक्त पटटा निगरानी पेश करने में कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। इस कारण उक्त निगरानी निरस्त की जावें।

3(2)–प्रार्थी ने पटटा संख्या 29 जारी होने के करीब 13 वर्ष पश्चात उक्त निगरानी पेश की है, इतनी लम्बी अवधि के पश्चात प्रार्थी को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त निगरानी पेश करने की अवधि 90 दिवस की है। इस कारण भी निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)–निगरानीकर्ता का उक्त निगरानी में मुख्य कथन यह है कि ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया, न ही पंचायत राज अधिनियम के तहत पटटा जारी करने बाबत विहित नियमों की पालना की। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.01.2009 को दर्ज किया गया तथा जिस पर मिसल संख्या 29/2010–11 कायम की गई एवं संकल्प संख्या 5 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 के हक में विधिवत पटटा जारी किया गया। किन्तु बाद में ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा का विलय नगरपालिका मे हो जाने से ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण रिकॉर्ड नगरपालिका में जमा करवा दिया गया। निगरानीकर्ता स्वयं ने पटटे की प्रमाणित प्रति नगरपालिका डेगाना से प्राप्त की है। यदि पटटा फर्जी तरीके से जारी किया गया होता तो उक्त पटटा नगरपालिका में जमा नहीं होता। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड नगरपालिका में जमा करवाये जाने के बावजूद भी नगरपालिका मण्डल द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। किन्तु नगरपालिका में उपलब्ध नहीं होने के कारण मात्र से ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पटटे को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरानी काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोरेडी चांचा द्वारा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.07.2010, पट्टा संख्या 29 मिसल संख्या 29/2010–11, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत गोरडी चांचा से मूल रेकर्ड तलब किया गया तत्पश्चात कार्यालय पंचायत समिति डेगाना (नागौर) ने अपने पत्र क्रमांक 485 दिनांक 05.07.2024 द्वारा बताया कि ग्राम पंचायत गौरेडी चांचा, नगर पालिका डेगाना में मर्ज हो गई है। ग्राम पंचायत गौरेडी चांचा से संबंधित समस्त रिकॉर्ड नगर पालिका डेगाना को सुपुर्द किया जा चुका है। कार्यालय नगर पालिका मण्डल डेगाना (नागौर) ने अपने पत्र क्रमांक 261 दिनांक 13.06.2024 द्वारा बताया कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा संख्या 29 की फोटोप्रति ही नगर पालिका के कार्यालय में जमा करवाई है, उक्त पट्टे से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज पालिका रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। रेकर्ड के अभाव में नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुसार आपतियां आमंत्रित कर मौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत् पट्टा जारी किया हो। क्योंकि पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमो की पूर्णतः पालना की हो। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गौरेडी चांचा के प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.07.2010 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी पट्टा संख्या 29 निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/11/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर